संख्या-1/सी०एल०-10-09/2017श्र०सं0- 2119

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

के० सेंथिल कुमार,भा०प्र०से०
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 17.5.19

विषय:- **विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक/व्यवसायिक पुनर्वास हेतु राज्य के चार जिले पटना, गया, बांका एवं जमुई में विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वियन हेतु राज्य योजना अन्तर्गत रू० 2,81,80,160.00 (दो करोड़ इकासी लाख अस्सी हजार एक सौ साठ रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपयुर्क्त विषयान्तर्गत कहना है कि राज्य में विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक पुनर्वास हेतु विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन निविदा के माध्यम से चयनित गैर सरकारी संगठनों से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। गैर सरकारी संगठनो को केन्द्र खोलने की तिथि से प्रथम तीन वर्षो के लिए केन्द्र संचालन की अनुमति दी गई है।

2. विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों में बाल श्रम से विमुक्त 6 से 14 साल के बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक रखा जायेगा। इन बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही इन केन्द्रों में रखा जाना है। यह केन्द्र आवासीय है एवं विमुक्त बाल श्रमिकों को मुख्य धारा के विद्यालयों से जोड़ने से पहले उनके शैक्षणिक स्थिति के अनुसार ब्रिज कोर्स संबंधित केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराया जाना है। साथ ही अगर विमुक्त बाल श्रमिक व्यवसायिक शिक्षा में रूचि रखता हो तो ऐसे बाल श्रमिकों को 15 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात् कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रमों से जोड़ा जायेगा। इन केन्द्रों में विमुक्त बाल श्रमिकों के सभी दैनिक आवश्कताओं की पूर्ति की जाती है, उन्हें स्वस्थ्य एवं सुरक्षित बचपन दिया जाना है एवं उनके सर्वागीण विकास पर बल दिया जाना है।

3. राज्य में विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु गया, नवादा, नालंदा, पटना, बांका, सीतामढ़ी एवं जमुई को पायलट जिले के रूप में चयन किया गया था एवं सम्प्रति पटना, गया, जमुई एवं बांका जिले में विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु निम्नवत व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. **राज्य योजना के अन्तर्गत प्रावधानित राशि:** वित्तीय वर्ष-2019-20 में कुल राशि 4,93,22,000/- (चार करोड़ तिरानवे लाख बाइस हजार) विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक/व्यवसायिक पुनर्वास हेतु विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन योजना के अन्तर्गत प्रावधानित राशि में से वर्त्तमान में चार विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए कुल रू० 70,45,040.00 x 4 = रू० 2,81,80,160.00 (दो करोड़ इकासी लाख अस्सी हजार एक सौ साठ रूपये) मात्र की राशि की निकासी मुख्य शीर्ष-2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उप मुख्य शीर्ष-01-पुर्नवास-लघु शीर्ष-202 अन्य पुर्नवास योजनाएं उप शीर्ष 0107 विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक/व्यवसायिक पुनर्वास हेतु विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन के अन्तर्गत (बिपत्र कोड 26-2235012020107) निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी:-

विषय शीर्ष

उपमुख्य शीर्ष 01-पुनर्वास
लघु शीर्ष 202-अन्य पुनर्वास योजनाएं
उपशीर्ष 0107-विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक/व्यवसायिक पुनर्वास हेतु विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन
विपत्र कोड 26-2235012020107

(राशि रूपये में)

विषय शीर्ष	आय-व्ययक अनुमान 2019-2020
31-सहायता अनुदान	
0107.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	4,93,22,000
योग-26-2235.01.202.0107.31 सहायता अनुदान	4,93,22,000
योग-26-2235.01.202.0107-विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक/व्यवसायिक पुनर्वास हेतु विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	4,93,22,000
योग-लघु शीर्ष-26-2235.01.202-अन्य पुनर्वास योजनाएं	4,93,22,000
योग-26-2235.01 पुनर्वास	4,93,22,000

5. इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल रू० 70,45,040.00 x 4 = रू० 2,81,80,160.00 (दो करोड़ इकासी लाख अस्सी हजार एक सौ साठ रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. विभाग द्वारा योजनान्तर्गत राशि का आवंटन संबंधित जिलों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को किया जायेगा। जिलों को आवंटित की गई राशि को निविदा के माध्यम से चयनित संस्थानों को संबंधित जिलों में विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु राशि का भुगतान BTRBTC Prereceipt Voucher प्राप्त कर CFMS माध्यम से किया जाएगा। योजना के अन्तर्गत राशि की निकासी विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश के आलोक में संबंधित जिलें के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

7. संस्थानों को उपलब्ध करायी गयी राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC Form—42 में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को समर्पित करना होगा।

8. संस्थानों द्वारा समर्पित Audited UC, BTC Form—42A के साथ विभाग में उपलब्ध कराया जाएगा।

9. निविदा के माध्यम से चयनित संस्थानों को जिलों में विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु कुल वार्षिक बजट की राशि का एक चौथाई अर्थात् प्रथम त्रैमासिक किश्त की राशि अग्रिम के रूप में संस्थानों द्वारा समान राशि का बैंक गारंटी समर्पित करने के पश्चात् भुगतान किया जाएगा। प्रथम किश्त के अग्रिम भुगतान के पश्चात् अन्य अनुवर्त्ती किश्तों को भुगतान संस्थानों द्वारा समर्पित उपयोगिता प्रमाण पत्र के पश्चात् ही होगी।

9. निविदा के माध्यम से चयनित संस्थानों को राशि का भुगतान छात्रों की संख्या के अनुसार अनुपातिक दर से किया जाएगा एवं लागू होने वाली सभी सांविधिक कटौतियाँ कर ली जाएंगी।

10. निविदा की शर्त्तो के अनुरूप चयनित संस्थानों को आवंटित केन्द्र के लिए विमुक्त बच्चों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथापि राज्य सरकार द्वारा भी इस उद्देश्य से आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा एवं संबंधित जिलों में धावा दल अथवा अन्य माध्यम से विमुक्त तथा CLTS में निबंधित विमुक्त बाल श्रमिकों को विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।
11. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758, दिनांक-31.05.2017 मे प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत निर्गत किया जाता है। यह चालू योजना है।
12. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन पृ०- 92/F20 पर प्राप्त है।
13. प्रस्ताव/प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ०- 92/F20 पर प्राप्त है।
14. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उपश्रमायुक्त/ सहायक श्रमायुक्त/ श्रम अधीक्षक होगें ।

विश्वासभाजन

(के० सेंथिल कुमार)

विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-1/सी०एल०-10-09/2017 श्र०सं० 2119 पटना, दिनांक 17-5-19

प्रतिलिपिः-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली /सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/ सभी श्रम अधीक्षक/श्रमायुक्त के सचिव/सभी कोषागार पदाधिकारी/ उप कोषागार पदाधिकारी/आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-06 (श्रम पक्ष) एवं प्रशाखा-02 (सरकार पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(के० सेंथिल कुमार)

विशेष सचिव ।